डिकरी व मुकदमें इब्तदाई

(आर्डर 20 रूल 6–7, जाब्ता दीवानी)
(Civil Procedure Code, Appendix"D"-1)
अज अदालत सहायक कलक्टर नदबई
व इजलास श्री गंगाधर मीना ,आर.ए.एस

मु0 उनवान परषोतम बनाम जसमतसिंह वगै0

दावा बाबत् 88,89, 188 रा0का0 अधिनियम

मुकदमा नंबर 79/2024

यह मुदकमा आज वास्ते इनफिसाल कतई रू–ब–रू ......– व हाजरी वादी मिनजानिब मुद्दालय पेश होकर , हुक्म दिया जाता है व मिनजानिब मुद्दठ व .... डिकरी दी जाती है कि

विवादित आराजी खसरा नं. 1048 रकबा 0.08 वाके ग्राम बसैया कला तहसील नदबई में स्थित है पर वादीगण को मुताबिक रजिस्टर्ड वयनामा दिनांक 25.06.1977 के अनुसार खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है प्रतिवादीगण के नाम रहे इन्द्राजात को कलमजन किया जाता है। तदनुसार राजस्व रिकार्ड में अंकन किया जावे।

बैज – मुबलिग – – – – – – बावत – – – – – – – – – – – खर्चा इस मुकदमें के मयसुद व शरह ——————फीसदी सालाना आज की तारीख सं तरीख व सुलयाबी तक —————— की अदा करें ।

दसब्त व मुहर अदालत के आज तारीख 04.11.2024 को जारी की गई ।

मुहर

दस्तखत—— 4/11/24

सहायक कलक्टर
नदबई जिला भरतपुर

मुद्दई	रूपया	पैसा	मुद्दालय	रूपया	पैसा
स्टाम्प अराजी दावा स्टाम्प वकालतनामा स्टाम्प वजह सबूत महनताना वकील खर्चा गवाहान फीस कमीश्नर बावत इजराय हुक्म नामा मुतफर्रिक			स्टाम्प वकालतनामा स्टाम्प अर्जी म्हनताना वकील खर्चा गवाहान फीस कमिश्नर बवत इजराय हुक्मनामा मुतफर्रिक		
मीजान			मीजान		

Signature Not Verified

Digitally signed by Ganga Dhar Meena
Date: 2025.06.23 14:32:17 IST
Reason: SelfAttested

1. परषोत्तम पुत्र मोहनसिंह जाति जाट निवासी बरौयाकंला तहसील नदबई जिला भरतपुर
2. रविन्द्रसिंह पुत्र मोहनसिंह जाति जाट निवासी बरौयाकंला तहसील नदबई जिला भरतपुर

वादीगण

बनाम

1. जसमतसिंह पुत्र हटट्टी जाति जाट निवासी बसैयाकंला तहसील नदबई
2. जीतेन्द्रसिंह पुत्र बदनसिंह जाति जाट निवासी बसैयाकंला तहसील नदबई भरतपुर
3. धमेन्द्रसिंह पुत्र बदनसिंह जाति जाट निवासी बसैयाकंला तहसील नदबई भरतपुर
4. तारासिंह पुत्र बलवीरसिंह जाति जाट निवासी बसैयाकंला तहसील नदबई भरतपुर
5. हरवीरसिंह पुत्र बलवीरसिंह जाति जाट निवासी बसैयाकंला तहसील नदबई भरतपुर
6. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार नदबई प्रतिवादीगण

4/11/24
सहायक कलक्टर
नदबई जिला भरतपुर

Signature Not Verified

Digitally signed by Ganga Dhar Meena
Date: 2025.06.23 14:32:17 IST
Reason: SelfAttested

न्यायालय सहायक कलक्टर नदबई (भरतपुर)

(पीठासीन अधिकारी श्री गंगाधर मीना R.A.S.)

प्रकरण सं. 79/2024

जी.सी.एम.एस. नम्बर 2024/101

किस्म दावा 88,89,188 आर.टी.ए.

निर्णय दिनांक 04.11.2024

1. परषोत्तम पुत्र मोहनसिंह जाति जाट निवासी बसैयाकंला तहसील नदबई जिला भरतपुर
2. रविन्द्रसिंह पुत्र मोहनसिंह जाति जाट निवासी बसैयाकंला तहसील नदबई जिला भरतपुर

वादीगण

बनाम

1. जसमतसिंह पुत्र हटट्री जाति जाट निवासी बसैयाकंला तहसील नदबई
2. जीतेन्द्रसिंह पुत्र बदनसिंह जाति जाट निवासी बसैयाकंला तहसील नदबई भरतपुर
3. धमेन्द्रसिंह पुत्र बदनसिंह जाति जाट निवासी बसैयाकंला तहसील नदबई भरतपुर
4. तारासिंह पुत्र बलवीरसिंह जाति जाट निवासी बसैयाकंला तहसील नदबई भरतपुर
5. हरवीरसिंह पुत्र बलवीरसिंह जाति जाट निवासी बसैयाकंला तहसील नदबई भरतपुर
6. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार नदबई प्रतिवादीगण

उपस्थित श्री भरतचौधरी एड.(वादी की ओर से)

Signature Not Verified

Digitally signed by Ganga Dhar Meena
Date: 2025.06.23 14:32:17 IST
Reason: SelfAttested

निर्णय दावा अंतर्गत धारा 88, 89, [illegible]

1. यह कि वादी एंव प्रतिवादीगण दावा के लिये पूर्णतः सक्षम है।
2. यह कि आराजी का साबिक ख.न. 916 रकवा 6 बिस्वा जिसका हाल ख.न. 1048 रकवा 0.08 वाके ग्राम बसैयाकंला तहसील नदबई में स्थित है।

4/11/24

नकल हाल जमांबदी संवत 2074 व मिलान क्षेत्रफल [illegible]
बयनामा दिनांक 25.06.1977 पेश है जो पत्रावली संलग्न है।

3. यह है कि विवादित आराजी वादी कि खरीद शुदा भूमि है [illegible] के बाबा यादी द्वारा प्रतिवादी स. 1 व प्रतिवादी स. 2 [illegible] बदनसिंह व प्रतिवादी स. 4 व 5 के पिता बलवीरसिंह से जरिये रजि. कीमतन बयनामा तारीख 25.06.1977 को साबिक ख.न. 916 रकबा 6 विस्वा को क्रय किया था। जिस पर वक्त बयनामा से वादीगण के बाबा यादी के जीवन काल से मौके पर काबिज काश्त चले आ रहे है। परन्तु बयनामा का दाखिला खारिज वादीगण के नाम नहीं हो सका। अत मुताबिक बयनाम के अधार पर वादीगण को खातेदार काश्तकार घोषित कियाजावें।

4. यह कि वादी का वादपत्र दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण को जरिए नोटिस तलब किया गया। प्रतिवादीगण स. 1, 4, 5 कि ओर से श्री रमेशचन्द एण्ड्वोकेट उपस्थित हुऐ एवं प्रतिवादी स. 2, 3, 6 तामील नोटिस वावजूद न्यायालय हाजा उपस्थित नही होने के कारण एकतरफा कार्यवाही अमल में लाई गयी। प्रतिवादी स. 1, 4, 5 की ओर से इकबाल दावा पेश किया गया।

5. वादी द्वारा अपने वादपत्र के समर्थन में दस्तावेजों के रूप में नकल जमाबन्दी संवत 2074–77 वाके ग्राम बसैया कला एवं नकल मिलान क्षेत्रफल सुवत 2060 वाके ग्राम बसैया कला एवं असल बयनामा तारीख 25.06.1977 पेश किये गये। तथा मौखिक बयान के रूप वादी परषोत्तम का शपथ पत्र पेश किया गया।

6. प्रतिवादीगण की ओर से किसी प्रकार का कोई दस्तावेजी साक्ष्य व मौखिक साक्ष्य पेश नहीं किये गये।

7. हमने विद्वान अधिवक्ता की एक तरफा बहस सुनी तथा पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजातों का अवलोकन किया तो पाया कि वादी द्वारा वाद पत्र में विवादित आराजी खसरा नं. 1048 रकवा 0.08 [illegible] बसैयाकंला स्थित है। उक्त विवादित आराजी को साबिक ख.नं. 916 रकवा 6 विस्वा है जो कि मिलान क्षेत्रफल संवत 2060 से साबित है।

Signature Not Ver
Digitally signed by Ga
Meena
Date: 2025.06.23 14:3
Reason: SelfAttested

4/11/24

उक्त साबिक ख.न. 916 को वादीगण के वावा यादी द्वारा प्रतिवादी सं. 1 व प्रतिवादी स. 3 व 3 के पिता बदनसिंह व प्रतिवादी स. 4 व 5 के पिता बलवीरसिंह से जरिये रजिस्टर्ड बयनामा तारीख 25.06.1977 को उक्त आराजी क्रय कि गई तथी से वादी उक्त आराजी पर काबिज काश्त है। लेकिन उक्त बयनामा तारीख 25.06.1977 का राजस्व रिकार्ड में अमल नही हो सका और आदिनांक तक उक्त विवादित आराजी पर प्रतिवादी के पिता के नाम दर्ज रिकॉर्ड चली आ रही है। वादीगण द्वारा प्रस्तुत असल बयनामा से साबित है कि उक्त विवादित आराजी वादीगण के बाबा यादी द्वारा प्रतिवादीगण के पिताओं द्वारा क्रय कि गई है। प्रतिवादीण द्वारा वादीगण के वाद पत्र को स्वीकार किये जाने हेतु इकबाल दावा भी पेश किया गया है। वादी द्वारा उक्त वादपत्र के समर्थन में शपथ पत्र परषोतम पेश किया गया जो कि वादी के वादपत्र का समर्थन करता है। वादी मुताबिक वयनामा काबिज काश्त करता चला आ रहा है। प्रतिवादीगण की ओर से किसी प्रकार की कोई उज्रदारी पेश नहीं की गई लिहाजा वादी का वादपत्र मुताबिक बयनाम तारीख 25.06.1977 अनुसार काबिल डिक्री के है।

–::आदेश::–

अतः आदेश है कि विवादित आराजी खसरा न. 1048 रकबा 0.08 वाके ग्राम बसैया कला तहसील नदबई में स्थित है पर वादीगण को मुताबिक रजिस्टर्ड वयनामा दिनांक 25.06.1977 के अनुसार खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है प्रतिवादीगण के नाम रहे इन्द्राजात को कलमजन किया जाता है। तदनुसार राजस्व रिकार्ड में अंकन किया जावे। पर्चा डिक्री जारी हो।

निर्णय आज दिनांक 04.11.24 को खुले न्यायालय में लिखाया जाकर सुनाया गया। पत्रावली फैसलशुमार होकर नम्बर से क्रम की जाकर दाखिल दफ्तर हो।

4/11/24
(गंगाधर मीणा)
सहायक कलक्टर
नदबई

Signature Not Verified
Digitally signed by Ganga Dhar Meena
Date: 2025.06.23 14:32:17 IST
Reason: SelfAttested